रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2011/चैत्र 1, 1933
No. 493] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2011/CHAITRA 1, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2011

का.आ. 608(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है जिसमें तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव के रूप में निम्नलिखित होंगे :—

1.	श्रीमती आशा स्वरूप, मकान सं. 3, ब्लाक-VII बैनमोर, कोटी शिमला, शिमला-171002	—अध्यक्ष
2.	डॉ. सत्यव्रत भारद्वाज, आचार्य और विभागाध्यक्ष, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी और वन विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन-173230	—सदस्य
3.	निदेशक, पर्यावरण विभाग, विज्ञान और तकनीकी, हिमाचल प्रदेश	—सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में प्रगणित है।

4. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश को सहायता करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा.वि.मू.स., हिमाचल प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1.	श्री खेम राम शर्मा, गांव और डाकघर बोहागण पुखर, पैहरा तहसील, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश	—अध्यक्ष
2.	डॉ. वी.जी. नेगी, सहायक रजिस्ट्रार (उपेक्षा सेवानगर), इग्नू प्रादेशिक केन्द्र, चौहान निवास, खलिनी, शिमला-171002	—सदस्य
3.	डॉ. कुलराज सिंह कपूर, वैज्ञानिक 'च' और विभागाध्यक्ष, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, कोनीफर कैंपस, पंथाघाटी, शिमला-171009	—सदस्य

4. श्री अशोक सहाजन, —सदस्य
मकान सं. बी-485, सेक्टर-4, फेस-II,
डीएवी स्कूल के पास, नया शिमला,
शिमला-171009

5. श्री राम मोहन गुप्ता, —सदस्य
ए-4, ब्लाक-3, स्ट्राबेरी हिल्स,
छोटा शिमला,
शिमला-171002

6. डा. करतार एस. वर्मा, —सदस्य
आचार्य और विभागाध्यक्ष, विज्ञान,
वानिकी महाविद्यालय,
डा. वाई. एस. परमार बागवानी और वन
विश्वविद्यालय, डाकघर नौनी,
सोलन, हि.प्र.-173230

15. श्री दिनेश कुमार शर्मा, —सचिव
ज्येष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर,
हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बीसीएस के नीचे, 'हिमपरिवेश' फेस-III,
नया शिमला,
शिमला-171009

---

5. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश रा.वि.मू.स., हिमाचल प्रदेश की सिफारिशों पर विनिश्चय करेगा।

6. रा.वे.मू.स., हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. रा.वे.मू.स., हिमाचल प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित है।

8. रा.वे.मू.स., हिमाचल प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के रूप पर कार्य करेगा और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्य पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि मतैक्य पर नहीं पहुंचता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी।

9. हिमाचल प्रदेश सरकार प्राधिकरण के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश को अभिकरण के रूप में अधिसूचित करेगी और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत सभी वित्तीय तथा यांत्रिक सहायता जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और अन्य सुविधाएं भी हैं, प्रदान करेगी।

10. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य की आसीन फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता का संदाय हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

[सं. जे-11013/36/2007-आईए. II(I)]

नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक "छ"

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2011

S.O. 608(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Himachal Pradesh) comprising of the three members, namely, Chairman, Member and Member Secretary as under :—

1. Smt. Asha Swarup, —Chairman
House No.3, Type-VII,
Benmore, Chotta Shimla,
Shimla - 171002.

2. Dr. Satyavarat Bhardwaj, —Member
Prof. and Head,
Department of Biotechnology,
Dr. Y.S. Parmar University of
Horticulture and Forestry,
Nauni, Solan - 173230.

3. Director, —Member Secretary
Department of Environment,
Science and Technology,
Govt. of Himachal Pradesh

2. The Chairman and members of the Authority, Himachal Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Himachal Pradesh shall exercise such powers and follow such procedure as are enumerated in the said Gazette notification.

4. The Central Government, to assist the Authority, Himachal Pradesh in consultation with the State Government of Himachal Pradesh, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as SEAC, Himachal Pradesh) comprising of the following Members, namely :—

1. Shri Bal Ram Sharma, —Chairman
Village and P.O Nehran Pukhar,
Dehra Tehsil, Kangra District,
Himachal Pradesh

2. Dr. V. B. Negi —Member
Assistant Registrar (Sr. Scale),
IGNOU Regional Centre,
Chauhan Niwas, Khalini,
Shimla - 171002.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

3. Dr. Kulraj Singh Kapoor, Scientist 'F' and Head Division of Ecology & Bio-Diversity Conservation, Himalayan Forest Research Institute, Conifer Campus, Panthaghati Shimla - 171 009. —Member

4. Shri Ashok Mahajan, House No. B-485, Sector-4, Phase-II, Near D A V School, New Shimla, Shimla - 171 009. —Member

5. Shri Ram Mohan Gupta, A-4, Block-3, Strawberry Hills, Chotta Shimla, Shimla - 171002. —Member

6. Dr. Kartar S. Verma, Prof. and Head, Department of Environmental Science, College of Forestry, Dr. YSP University of Horticulture and Forestry, P.O Nauni, Solan, H.P.-173230 —Member

15. Shri Dinesh Kumar Sharma, Senior Environmental Engineer, Himachal Pradesh Pollution Control Board, Below BCS, 'Himparivesh' Phase-III, New Shimla, Shimla-171009. —Secretary

5. The Authority, Himachal Pradesh shall take decision on the recommendations of the SEAC, Himachal Pradesh.

6. The Chairman and Members of the SEAC, Himachal Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Himachal Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as are enumerated in the said Gazette notification.

8. The SEAC, Himachal Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the opinion of the majority shall prevail.

9. The State Government of Himachal Pradesh shall notify an agency to act as secretariat for the Authority, Andhra Pradesh and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. Sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority, Himachal Pradesh shall be paid in accordance with the rules of the State Government of Himachal Pradesh.

[No. J-11013/36/2007-IA.II(I)]

NALINI BHAT, Scientist "G"